न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 17/2022
ऑनलाईन नंबर 2021/43
निर्णय दिनांक 12.11.2022

1. हरिराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र भिराजराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. सीता देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भंवरलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा हाल निवास कमेडिया जिला नागौर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूंगरगढ़।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक वादीगण
2. श्री गणेशाररराम अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है व प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 166 तादादी 16.3400 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा अवस्थित है। उपर्युक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता भिराजराम पुत्र चेतनराम की मृत्यु के बाद विरासतन प्राप्त हुई है। उपर्युक्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज भिराजराम की होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 भिराजराम के सहदायिक है तथा जन्म से ही उपर्युक्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का हक हिस्सा है। वादगत संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 166 तादादी 16.3400 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण का कुल 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दिया है। वादीगण का सम्पूर्ण कृषि भूमि में 2/3 हिस्सा पर ब.हि.ब. कब्जा काश्त है। वादीगण वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी में अपने नाम से दर्ज करने के हेतु प्रतिवादी संख्या 3 से दिनांक 05.02.2022 को मिले व जमाबंदी में वादीगण के नाम से दर्ज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का बताते हुए जमाबंदी में नाम दर्ज करने से मना कर दिया वाद हेतुक है। वादगत कृषि भूमि का लेण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 3 है जिसे आवश्यक पक्षकार होने के कारण संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस व समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है तथा वादगत कृषि भूमि श्रीडूंगरगढ़ तहसील में स्थित होने से माननीय न्यायालय को [illegible] को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। आवश्यक पक्षकार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए [illegible] से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. की नोटिस की [illegible] से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री फरमाई जावें।

(क) कि इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 166 तादादी 16.3400 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 2/3 हिस्सा ब.हि.ब. खातेदारी घोषित की जावें।

(ख) कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो वादीगण के पक्ष में फरमाया जावें।

वादीगण के उक्त दावा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा/इकबाली जवाब पेश किया गया। बहस सुनी गई। संक्षेप में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामें से वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 166 तादादी 16.3400 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 2/3 हिस्सा ब.हि.ब खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी 2 ने अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड दिया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल करनें एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीडूंगरगढ का रहन मुक्त होने के पश्चात ही पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
नेर)
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:29 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

1. हरिराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र भिराजराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सीता देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भंवरलाल जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा हाल निवास कमेडिया जिला नागौर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 17/2022

दावा बाबत घोषणा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेशाराम मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 166 तादादी 16.3400 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादीगण के पक्ष में 2/3 हिस्सा ब.हि.ब खातेदारी घोषित की जाती है। प्रतिवादी 2 ने अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड दिया है। अतः तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प डयूटी वसूल करनें एवं बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीडूंगरगढ का रहन मुक्त होने के पश्चात ही पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 12 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)